कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0–सम्बद्धता/06/ 147 /(सम्ब0.अनु.)/2012, दिनांक: 29 फरवरी, 2012

सेवा में,

प्रबन्धक,
शिवराज स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रामपुर,
बलिया।

विषय :–**महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन उच्च शिक्षा अनुभाग–6 के पत्रांक–115/सत्तर–6–2011–2(183)/2010, दिनांक 06 जुलाई, 2011 के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अभिनियम, 2007) की धारा 37(2) के अधीन प्राप्त सम्बद्धता विस्तरण की पूर्वानुमति पर विचारोपरान्त परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने के कारण कुलपति जी ने **शिवराज स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर, बलिया** को स्नातक स्तर पर **शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता की अनुमति प्रदान कर दी है:–

1. संस्था/महाविद्यालय के लिए शासन द्वारा निर्गत पत्र में उल्लिखित शर्ते यथावत लागू रहेगी।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जाएगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,
(एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. माननीय कुलपति जी – सूचनार्थ ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

(एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव